

कायालय मसूरा देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को ध्वस्तीकरण करने हेतु आदेश)

पत्रांक 133 / वाद सं० सी-0096/एस-11/2023 दिनांक: 6/4/2023

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून ।

विपक्षी श्रीमती अनीता देवी, श्री सलीम, एवं अन्य झाझरा निकट निम्बस कॉलेज मुख्य चकराता मार्ग देहरादून में स्थल पर लगभग 19-20 बीघा में भू-खण्डों एवं सड़क का चिन्हीकरण का कार्य किया गया है अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जाने कारण वाद संख्या सी-0096/एस-11/2023 योजित किया गया है। जिसे प्राधिकरण द्वारा उक्त अवैध निर्माण को दिनांक 20.1.23 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्त कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।

प्रतिलिपि:- 1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।

2. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. समस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को सील/ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि को दो वाहन, डोजर एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. श्रीमती अनीता देवी, श्री सलीम, एवं अन्य झाझरा निकट निम्बस कॉलेज मुख्य चकराता मार्ग देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनाधिकृत निर्माण दिनांक 20.1.23 को ध्वस्त किया जाना है। विपक्षी स्थल पर स्वयं उपस्थित रहें तथा स्थल से अपना समस्त सामान हटा ले। शेष शर्तें पूर्व प्रेषित पत्रांक सं० 3441 दिनांक 10.2.2022 के अनुसार मान्य होंगे।



6/4/23

सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।